संख्या–1425 /क0नि0प्र0/26–3–2013–13(21)/2013

प्रेषक,

सुनील कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

समस्त विकास विभागों के
प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ
समाज कल्याण विभाग

लखनऊः दिनांकः 10 अक्टूबर, 2013

विषयः– **अनुसूचित जाति सब प्लान व ट्राइबल सब प्लान के कियान्वयन हेतु दिशा–निर्देश।**

महोदय,

उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति सब प्लान तथा ट्राइबल सब प्लान योजनाओं का कियान्वयन योजना आयोग, भारत सरकार के दिशा निर्देशों/प्राविधानों के अनुसार किया जा रहा है। इन योजनाओं/उप योजनाओं के अन्तर्गत सामान्यतया अनुसूचित जाति/जनजाति को लाभ पहुंचाने वाली लाभार्थीपरक योजनाओं तथा क्षेत्रपरक योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में राज्य योजना आयोग के शासनादेश संख्या–17/2एम(4)/95–65 दिनांक 02 जुलाई,2002 द्वारा दिशा निर्देश भी निर्गत किये गये हैं। राज्य योजना आयोग के उक्त शासनादेश के अन्तर्गत किये गये प्राविधानों के अनुक्रम में अनुसूचित जाति सब प्लान/ट्राइबल सब प्लान के सुव्यवस्थित कियान्वयन हेतु निम्नवत् प्रकिया एवं मार्गदर्शक सिद्धान्त निर्धारित किये जाते हैंः–

अ– एस.सी.एस.पी./टी.एस.पी. के अन्तर्गत प्राप्त परिव्यय के वितरण की प्रकिया निम्नवत् रखी जायेगीः–

(1) प्रदेश में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या, जो इस समय 21.21 प्रतिशत है, के अनुपात में अनुसूचित जाति सब प्लान एवं ट्राइबल सब प्लान हेतु राज्य के कुल आयोजनागत परिव्यय का 21.21 प्रतिशत एकमुश्त परिव्यय नियोजन विभाग द्वारा समाज कल्याण विभाग को पूर्व की भॉति उपलब्ध कराया जाएगा।

(2) समाज कल्याण विभाग अनुसूचित जाति सब प्लान व ट्राइबल सब प्लान के कियान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु नोडल विभाग रहेगा।

(3) सभी विकास विभाग अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कल्याणार्थ विकासात्मक अन्तराल (Development Gaps) का अनुमान लगाने के पश्चात् विकासात्मक आवश्यकताओं एवं प्राथमिकताओं का निर्धारण करते हुए तद्नुसार योजनायें तैयार करेगें।

...2.

(4) संबंधित विकास विभागों की जिम्मेदारी होगी कि वे अपनी योजनाओं/कार्यक्रमों में विभागीय आवश्यकताओं को आंकलित करते हुये औचित्यपूर्ण मॉग प्रस्तुत करेगें ताकि उपलब्ध सीमित संसाधनों का अधिकाधिक सदुपयोग हो सके। विभागों को परिव्यय आवंटित करने के पूर्व समाज कल्याण विभाग द्वारा सभी सम्बन्धित विभागों के साथ बैठक करके विचार–विमर्श किया जायेगा।

(5) उक्त एकमुश्त परिव्यय को समाज कल्याण आयुक्त/प्रमुख सचिव, समाज कल्याण विभाग द्वारा संबंधित विकास विभागों को उनकी आवश्यकताओं को देखते हुए मुख्य सचिव का अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त आवंटित किया जाएगा।

ब– **एस.सी.एस.पी./टी.एस.पी. के अन्तर्गत परियोजनाओं/ योजनाओं हेतु परिव्यय निम्नानुसार उपलब्ध कराये जायेंगेः–**

(1) लाभार्थीपरक् योजनाओं के अन्तर्गत अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों के सापेक्ष एस.सी.एस.पी./ टी.एस.पी. के अन्तर्गत शतप्रतिशत परिव्यय आवंटित किया जायेगा।

(2) ऐसी बसावटों/ग्रामों/ग्राम पंचायतों अथवा नगर पंचायतों जिनमें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या कम से कम 25 प्रतिशत हो, में क्षेत्र आधारित लघु आधारभूत संरचनाओं के निर्माण सम्बन्धी परियोजनाओं पर शतप्रतिशत परिव्यय एस.सी.एस.पी./टी.एस.पी. के अन्तर्गत आवंटित किया जायेगा।
उदाहरणार्थ :– ग्रामीण सम्पर्क मार्ग का निर्माण, सी0सी0 रोड व नाली का निर्माण, आंगनबाड़ी केन्द्र का निर्माण, सामुदायिक केन्द्र का निर्माण, क्रीड़ा स्थल का विकास, विद्यालय भवन का निर्माण आदि।

(3) वृहद आधारभूत परियोजनायें, जैसे पेयजल योजना, विद्युत उत्पादन संयत्र की स्थापना, बडी ट्रॉसमिशन लाइन, विद्युत उपकेन्द्र की स्थापना, सड़कों/बांधों/नहर का निर्माण आदि जिनका विस्तार चाहे एक जनपद तक सीमित हो अथवा जिनसे एक से अधिक जनपद आच्छादित होते हों, के लिए योजना की लागत का 21.21 प्रतिशत परिव्यय एस.सी.एस.पी./टी.एस.पी. से उपलब्ध कराया जायेगा।

2– कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

10.13

(सुनील कुमार)
प्रमुख सचिव।

...3.

संख्या–1425 (1)/क0नि0प्र0/26–3–2013 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– प्रमुख सचिव, वित्त, उत्तर प्रदेश शासन।
2– प्रमुख सचिव, नियोजन, उत्तर प्रदेश शासन।
3– समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
4– समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
5– समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
6– समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,

(के0राम मोहन राव)
सचिव।

संख्या–1425 (2)/क0नि0प्र0/26–3–2013 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषितः–

1– मा0 मुख्य मंत्री जी के निजी सचिव।
2– मा0 समाज कल्याण मंत्रीजी के निजी सचिव।

आज्ञा से,

(के0राम मोहन राव)
सचिव।